फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/447 अनवान पुखराज बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/07/025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 से प्रार्थी का कोई अनुतोष नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश नियम 10(2) सीपीसी पेश कर अप्रार्थी संख्या 03 को प्रार्थना पत्र शीर्षक से डिलीट किये जाने की मांग की जा रही है। जिस प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात सीपीसी के प्रोविजों अनुसार स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या–03 को प्रार्थना पत्र शीर्षक से डिलिट किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसका अंकन लाल स्याही से किया जावे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–02 का जवाब प्राप्त हो जाने तथा अप्रार्थी संख्या–01 पैरोकार सरकार के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार, नाना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को मौके पर स्वयं व्यक्तिशः जाकर मौका फर्द बनाने से पुनः जवाब की आवश्यकता नहीं होने से मूल प्रार्थना पत्र धारा 128, 111 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापति की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात हैं कि प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि नाना के खसरा नंबर 2178 के उत्तर–पुर्व की और स्थित सार्वजनिक निर्माण की गै.मु. सडक के बीच कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से प्रार्थी द्वारा उक्त पत्थर गढी का आवेदन पेश किया है। तथा अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड बाली ने भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि व गै.मु. सडक के बीच पडी भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान कर दी है। तथा साथ ही प्रकरण में नायब तहसीलदार, नाना व पटवारी हल्का एवं भू0अ0 नि0 नाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थर गढी नही होने के कारण लोगो द्वारा अतिक्रमण किये, जो उनके द्वारा हटाये गये है। जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी की धारित भूमि व सडक के मध्य पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128, 111 के प्रावधानो अनुसार प्रार्थी की धारित भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 2178 व उत्तर–पुर्व की और स्थित गै.मु. सडक के मध्य सीमाज्ञान करवाते हुये पत्थर गढी के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)) 28/7/025 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांक: कोर्ट/2025/1016 दिनांक : 29/07/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पुखराज राठौड पुत्र धनारामजी राठौड जाति घांची निवासी नाना तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/447

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

-:: आदेश ::-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम नाना पटवारी हल्का नाना तहसील बाली के खसरा संख्या 2178 व उत्तर पूर्व की ओर स्थित गै.मु.सडक के मध्य सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/-प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

28/7/025

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं पदेन
(SDO) उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक: कोर्ट/2025/1017-1020 दिनांक : 29/07/25

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाना
3. हल्का पटवारी नाना को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. पुखराज राठौड पुत्र धनारामजी राठौड जाति घांची निवासी नाना तहसील बाली को सूचनार्थ।

28/7/025

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं पदेन
(SDO) उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner